न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 42/2008
कपूरा देवी बनाम सुभाषचन्द्र

14.11.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज सर्वे रिपोर्ट 25ग व नक्शा 26ग के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा अमीन रिपोर्ट मय नक्शा पर आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अमीन महोदय ने विवादित स्थल के बारे में मात्र प्रतिवादी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से मनमाने तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौके पर कोई निरीक्षण या पैमाइश नहीं किया है। विवादित स्थल में हम वादिनी की नींव छप्पर, मड़हला आदि मौजूद है, जिसे अदालत अमीन ने प्रतिवादी का होना दर्शाते हुए प्रतिवादी का कब्जा विवादित स्थल पर दिखाने का प्रयास किया है, जो कतई सही नहीं है, जबकि दीवाल व छप्पर मड़हला हम वादिनी का है। अमीन महोदय ने विवादित जमीन की न तो लं0 या चौ0 या क्षेत्रफल ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया है और न उसकी चौहद्दी ही सही रूप से दिखाया है। वरवक्त मौका मुआयना विवादित स्थल की स्थिति मुताबिक नक्शा वादपत्र थी। प्रतिवादी को फायदा पहुंचाने के लिए विवादित निर्माण का अस्तित्व, जो नहीं था, दिखा दिया वो कब्जा भी साबित कराने का प्रयास किया, जो आदेश 39 नियम 7 की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। अतः अमीन रिपोर्ट व नक्शा खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी द्वारा अमीन रिपोर्ट व नक्शा पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अमीन रिपोर्ट 25ग व नक्शा 26ग दाखिल है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। अमीन रिपोर्ट व नक्शा पर प्रतिवादी द्व ारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। वादी द्वारा उठाई गई आपत्ति तथ्यात्मक है, जो साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में अमीन रिपोर्ट 25ग व नक्शा 26ग साक्ष्याधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अमीन रिपोर्ट 25ग व नक्शा 26ग साक्ष्याधीन पुष्ट किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग2/साक्ष्य दिनांक–16.12.2017 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान बस्ती